

वादी जितेन्द्र सहित श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 03 सुरेन्द्र सहित एवं शेष की ओर से
श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 06 पूर्व से एक पक्षीय ।
प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है ।
इसी प्रास्थिति पर वादी जितेन्द्र ने उसके अधिवक्ता श्री
अशोक पचौरी के साथ उपस्थित होकर एक आवेदन प्रस्तुत कर
निवेदन किया कि उसका प्रतिवादीगण से न्यायालय से बाहर
राजीनामा हो गया है और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष
नहीं रहा और वह इस प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहता है ।
इसलिए उसका प्रकरण राजीनामे के अनुसार आज ही इसी
प्रास्थिति पर वापस कर समाप्त कर दिया जाये ।
अभिलेख का अवलोकन किया ।
आदेश 23 नियम 01 सीपीसी के प्रावधान के अनुसार
वादी वाद संस्थित किये जाने के पश्चात् किसी भी समय
अपनी वाद का प्रत्याहरण या परित्याग कर सकेगा ।
वादी की पहचान श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता एवं
प्रतिवादी क्रमांक 03 सुरेन्द्र की पहचान श्री आर.पी.एस.गुर्जर
अधिवक्ता द्वारा दी गई ।
अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि
प्रस्तुत आवेदन सद्भावनापूर्ण एवं वास्तविक है एवं उभय पक्ष के
मध्य न्यायालय के बाहर स्वेच्छया राजीनामा हो चुका है ।
इसलिए उनके न्यायालय के बाहर हुये राजीनामे के आलोक में
वादी का आवेदन स्वीकार किया जाता है और उसका वाद
उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के तथ्यों के आलोक में प्रत्याहृत
किये जाने के आधार पर निरस्त किया जाता है ।
इस संबंध में व्यय तालिका बनाई जाये ।
प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर
अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार
प्रेषित किया जाये ।